प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष हेतु क्रमशः राज्य सरकार के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखा के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

3. शेष अध्यायों में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के लेन-देन की लेखापरीक्षा, स्टोर एवं स्टॉक की लेखापरीक्षा तथा विभागीय स्तर पर संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों पर अभ्युक्तियाँ रहती हैं। सरकारी कम्पनियों के लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है।

4. राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2003-04 के दौरान लेखा की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा उनमें से जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पूर्ववर्त्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके; वर्ष 2003-04 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक हैं, भी सम्मिलित किये गये हैं।